company, by Managing Director or by any Director thereof. The Internal Audit Wing of the Department had raised the objection that, since the returns were not signed by a competent person, they were invalid and refund should not have been granted. There was no dispute regarding the quantum of refund due to the assessee. The only issue was whether on the basis of returns which have not been signed by the Director of the Company, refund should be issued or not. The Central Board of Direct Taxes considered the matter and was of the view that since the returns filed by the assessee had been taken cognizance of & since there was no dispute regarding the quantum of refund, such technical objections should not come in the way of issue of refund. The Board accordingly directed the issue of refund. The refund amounting to Rs. 82,44,406/- was accordingly issued to the assessee company.

(b) No, Sir.

Offer from Trinidad and Tobago to Indian Investors

2470. SHRI MOHINDER SINGH LATHER: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of Trinidad and Tobago have offered Indian investors a lot of facilities to set up industries in their country;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): (a) No Sir.

(b) and (c) Do not arise.

त्रमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के लिए निर्यात घरानों के विरुद्ध कार्यवाही

2471. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा: श्री राम जेठमलानी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक निर्यात घरानों ने वर्ष 1987-88 और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यातों के संबंध में अपने त्रैमासिक प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत नहीं किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार कुल कितने व्यापार घरानों को निर्यातकों के रूप में पंजीकृत किया गया है ;

(घ) क्या सरकार ने इन दोषी निर्यात घरानों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है : और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. आर. दासमुंशी): (क) और (ख) जी नहीं। वास्तविकता यह कि 461 निर्यात सदनों/व्यापार सदनों ने भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ को अपने तिमाही प्रतिवेदन नहीं भेजे हैं, यह परिसंघ उनके निर्यात निष्पादन आंकने वाला एक मानीटरिंग प्राधिकरण है।

(ग) दिनांक 31-12-1988 की स्थिति के अनुसार 1168 निर्यात सदन/व्यापार सदन सरकार से मान्यता प्राप्त थे।

(घ) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ ने दोषी सदस्यों को नोटिस जारी किए थे।

(ङ) अब तक इन 461 सदनों में से 342 ने रिपोर्ट भेज दी हैं और उनका नाम रिपोर्ट नहीं भेजने वालों की सूची से निकाल दिया गया है। भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ दोषी सदस्यों के पंजीकरण को सरकार द्वारा निर्धारित नियम के अन्तर्गत रद्द करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है। पंजीकरण रद्द होने पर वे निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त करने से वंचित हो जाएंगे।